

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



असाधारण  
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254]	दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 4, 2017/आषाढ़ 13 1939	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 144
No. 254]	DELHI, TUESDAY, JULY 4, 2017/ASADHA 13, 1939	[N.C.T.D. No. 144

भाग—IV  
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचना

दिल्ली 30 जून, 2017

सं. 11/2017—राज्य कर

सं. एफ. 3(786)/नीति/जीएसटी/2017/459-69.—व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 26 के उपनियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, उक्त नियमों के प्रयोजन के लिये, निम्नलिखित को सत्यापन की रीतियां अधिसूचित करता है, अर्थात् :-

- आधार आधारित इलेक्ट्रानिकी सत्यापन कूट (ईवीसी)
- सामान्य पोर्टल पर नेट बैंकिंग लागइन के माध्यम से सृजित इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड;
- सामान्य पोर्टल पर सृजित इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड।”

परन्तु जहां किसी दस्तावेज के सत्यापन की रीति पूर्वोक्त किसी एक रीति के माध्यम से है। वहां ऐसा सत्यापन दस्तावेज प्रस्तुत करने के दो दिन के भीतर किया जाएगा।

- यह अधिसूचना 30 जून, 2017 को प्रवृत्त होगी।

एच. राजेश प्रसाद, आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली

**DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES****NOTIFICATION**

Delhi, the 30th June, 2017

**No. 11/2017- State Tax**

**No. F. 3(786)/Policy/GST/2017/459-69.**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 26 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said Rules), the Department of Trade and Taxes, Govt. of NCT of Delhi notifies the following modes of verification, for the purpose of the said rule, namely:—

- “(i) Aadhaar based Electronic Verification Code (EVC);
- (ii) Electronic verification code generated through net banking login on the common portal;
- (iii) Electronic verification code generated on the common portal.”

Provided that where the mode of authentication of any document is through any of the aforesaid modes, such verification shall be done within two days of furnishing the documents.

2. This notification shall come into force on the 30th day of June, 2017.

H. RAJESH PRASAD, Commissioner, State Tax, Delhi